

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572-245057

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2024/00396

दिनांक:-03.09.2024

संशोधित पत्र

प्रेषिती:-

1. किरण देवी अग्रवाल पत्नी अमित कुमार अग्रवाल
जाति महाजन नि. राम-लखन निवास,
विक्रम गैस गोदाम के आगे राधाकिशनपुरा सीकर।
2. सुमन अग्रवाल पत्नी हेमन्त कुमार अग्रवाल
जाति महाजन निवासी राधाकिशनपुरा सीकर।

विषय:- राजस्व ग्राम चैनपुरा तहसील सीकर के खसरा सं. 425 रकबा 0.3400 है., खसरा नम्बर 426 रकबा 0.3300 है., खसरा नम्बर 1407/427 रकबा 0.1850 है., खसरा नम्बर 1438/423 रकबा 0.2374 है. व खसरा नम्बर 1440/424 रकबा 0.2524 है. कुल रकबा 13448.00 वर्गमीटर भूमि में श्याम वाटिका आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

प्रसंग:- न्यास पत्र क्रमांक न.वि.न्या/नियमन/2024/00396 दिनांक 12.07.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि पूर्व में जारी पत्र में लिपिकिय त्रुटी से राजस्व ग्राम चैनपुरा तहसील सीकर के खसरा सं. 425 रकबा 0.3500 है., खसरा नम्बर 1441/424 रकबा 0.2524 है. अंकित हो गया था, जबकि सही खसरा नम्बर व क्षेत्रफल खसरा सं. 425 रकबा 0.3400 है., खसरा नम्बर 1440/424 रकबा 0.2524 हैकटेयर है।

अतः पूर्व में जारी पत्र में राजस्व ग्राम चैनपुरा तहसील सीकर के खसरा सं. 425 रकबा 0.3400 है., खसरा नम्बर 1440/424 रकबा 0.2524 है. पढ़ा/समझा जावे। शेष समस्त विवरण व शर्तें पूर्व में जारी पत्र के अनुसार ही रहेगी।

(जय कौशिक)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर


Signature valid

Digitally signed by Jai Kaushik
Designation: Sub Divisional Officer
Date: 2024.09.03 11:18:47 IST
Reason: Approved




SHYAM VATIKA RESIDENTIAL SCHEME

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO 1438/423, 1440/424, 425, 426, 1407/427
 REVENUE VILL. - CHAINPURA, DIST. SIKAR (RAJ.)
 FOR- 90A RESIDENTIAL SCHEME
 APPLICANT:- 1- KIRAN DEVI W/O AMIT KUMAR AGARWAL 2. SUMAN AGARWAL W/O HEMNANT KUMAR AGARWAL




URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR



KEY-PLAN Not To Scale

PROPOSED ROAD 18.0 METER WIDE



GOOGLE EARTH MAP

योजना का नाम SHYAM VATIKA RESIDENTIAL SCHEME का ले-आउट आज दिनांक 02/7/24 को लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

AREA ANALYSIS			
S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	8262.48	61.44%
2.	INFORMAL COMMERCIAL	0407.77	03.03%
3.	MOBILE TOWER	0043.13	00.32%
4.	ROAD	4734.62	35.21 %
TOTAL		13448.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL		
1.	PARTICULARS	NO.
2.	RESIDENTIAL PLOT'S	73
3.	INFORMAL COMMERCIAL	8
4.	MOBILE TOWER	2

---	SCHEME BOUNDARY
---	KHASRA LINE
---	PLOT BOUNDARY

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER
 SCALE-1 C.M. = 6.0 MTR

TOTAL AREA IN KH NO. 1438/423= 2374.00 SQ. MTR
 TOTAL AREA IN KH NO. 1440/424= 2524.00 SQ. MTR
 TOTAL AREA IN KH NO. 425= 3400.00 SQ. MTR
 TOTAL AREA IN KH NO. 426= 3300.00 SQ. MTR
 TOTAL AREA IN KH NO. 1407/427= 1850.00 SQ. MTR
 TOTAL AREA FOR CONVERSION= 13448.00 SQ.MTR.

02/07/24
 उप नगर नियोजक
 नगर विकास न्यास सीकर

अधिसूची अभियन्ता
 नगर सुधार न्यास
 सीकर

21713
 सचिव
 नगर विकास न्यास, सीकर

JK CONSULTANCY
 1st Floor, Sangam Tower,
 Opp. jaat boarding, Sikar
 9928338794, 7891067650

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572-245057

क्रमांक:- न.वि.न्या / नियमन / 2024 / 00396

दिनांक:-12.07.2024

प्रेषिती:-

1. किरण देवी अग्रवाल पत्नी अमित कुमार अग्रवाल जाति महाजन नि. राम-लखन निवास, विक्रम गैस गोदाम के आगे राधाकिशनपुरा सीकर।
2. सुमन अग्रवाल पत्नी हेमन्त कुमार अग्रवाल जाति महाजन निवासी राधाकिशनपुरा सीकर।

विषय:- राजस्व ग्राम चैनपुरा तहसील सीकर के खसरा सं. 425 रकबा 0.3500 है., खसरा नम्बर 426 रकबा 0.3300 है., खसरा नम्बर 1407/427 रकबा 0.1850 है., खसरा नम्बर 1438/423 रकबा 0.2374 है. व खसरा नम्बर 1441/424 रकबा 0.2524 है. कुल रकबा 13448.00 वर्गमीटर भूमि में श्याम वाटिका आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम चैनपुरा तहसील सीकर के खसरा सं. 425 रकबा 0.3500 है., खसरा नम्बर 426 रकबा 0.3300 है., खसरा नम्बर 1407/427 रकबा 0.1850 है., खसरा नम्बर 1438/423 रकबा 0.2374 है. व खसरा नम्बर 1441/424 रकबा 0.2524 है. कुल रकबा 13448.00 वर्गमीटर भूमि में श्याम वाटिका आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में जमा करवाई गई है।
5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
6. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
7. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
8. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
9. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 14, 64, 68, 69, 70, 71, 72 व 73) भू-खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
10. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allottees).
11. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
12. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्न:- योजना मानचित्र।

RajKaj Ref
8927306



Signature Not Verified

(जय व...
Digitally signed by Jai Kaushik
Designation : Sub Divisional Officer
Date: 2024.07.12 16:26:26 IST
Reason: Approved